प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 23.06.2026**

➢ **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना सिकन्दरा पर दिनांक 22.06.2026 को वादी मुकदमा अनमोल पुत्र श्री फूलचन्द निवासी ग्राम कसहरी थाना बेला जनपद औरैया स्थायी पता मोहल्ला जनता नगर थाना कैरनाल जनपद भठिंडा पंजाब द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरी बहन मिंकू रानी को ससुरालीजनों द्वारा मायके से समान व पैसे की मांग करना मांग पूरी न करने पर मिंकू रानी को आये दिन प्रताड़ित करना व दिनांक 19.06.2026 को मेरी बहन मिंकू रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के सम्बन्धी में दी गयी । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 110/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. राजकुमार पुत्र रामगोपाल (पति) 2. जयदेवी पत्नी रामगोपाल (सास) 3. राखी पुत्री रामगोपाल (ननद) समस्त निवासीगण ग्राम मदनपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित नामित अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मदनपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को दिनांक 23.06.2026 को रसधान पुल से करीब 200 मीटर दूर जरौली मोड़ के पास थाना क्षेत्र सिकन्दरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. राजकुमार उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मदनपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 110/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमेश कुमार
2. का0 651 सन्दीप कुमार
3. का0 540 विगनेश